न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 192/23
(आरसीएमएस संख्या 2023/262)

निर्णय दिनांकः– 12-08-25

1. अब्दुल मजीद पुत्र हाजी सफी जाति मुसलमान निवासी बिसाउ तहसील बिसाउ जिला झुन्झूनू।
2. नजमा पत्नी अब्दुल मजीद जाति मुसलमान निवासी बिसाउ तहसील बिसाउ जिला झुन्झूनू।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्

राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 19–05–2008
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचंद धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 19–05–2008 जिसके द्वारा अपीलांट को वन विभाग को आरक्षित भूमि का आवंटन बतौर मोहरबन्द के तहत किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील बज्जू में चक 04 एचएलएम के मुरब्बा नम्बर 116/18 में तादादी 25 अनकमाण्ड भूमि बतौर मोहरबन्द आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे तथा धरोहर राशि 11050/– भी खजानाराज में जमा करवाई गई थी तथा उक्त भूमि का आवंटन हेतु श्रीमान् आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के आदेश क्रमांक एफ 5(ई) उपनि/05/बी–3959 दिनांक 13–06–2008 द्वारा अनुमोदन करने पर अपीलांट के पक्ष में कर दिया गया। वादग्रस्त भूमि के आवंटन पश्चात् अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि आराजी जैर भूमि वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि थी। वादग्रस्त भूमि की स्थिति के संबंध में पूर्व में किसी भी स्तर पर यह टिप्पणी अंकित नहीं की गई थी कि वादग्रस्त भूमि वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि है। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अदालत मातहत द्वारा आज दिनांक तक न तो अपीलांट के उपरोक्त विधि विरूद्व आवंटन को खारिज किया गया है ना ही अपीलांट को समान श्रेणी की अन्य भूमि आवंटित की गई है। जिससे प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र अपीलांट को वादग्रस्त भूमि का आवंटन नहीं किये जाने के उद्वेश्य मात्र से तमाम कार्यवाही आवंटन अधिकारी द्वारा की गई है। जबकि अदालत मातहत को चाहिए था कि अपीलांट का आवेदन अन्य सीलबीड हेतु आरक्षित भूमि की प्रक्रिया में शामिल किया जाकर अन्य समान श्रेणी की भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकार की कोई कार्यवाही अपीलांट के आवेदन पत्र पर नहीं की गई है। अपीलांट द्वारा जमा करवाई गई राशि आज दिनांक तक खजानाराज में जमा है तथा अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट को सामन श्रेणी की अन्य भूमि आवंटन करने के आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19—05—2008 के विरूद्व अपील दिनांक 21—03—23 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि पूर्व से ही वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 19—05—2008 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 21—09—2023 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि विलम्ब के मामलों में न्यायालय का दृष्टिकोण समग्र रूप से न्याय का उद्वेश्य हासिल करने का होना चाहिए। विलम्ब शमन निम्न में से एक या से एक से अधिक कारणों पर आधारित होना चाहिए। मियांद कानून लोक नीति का पूरक है। इसका उद्वेश्य किसी पक्षकार के अधिकारों का हनन करना नहीं होना चाहिए। न्याय प्राप्ति हेतु अंतिम प्रयास तक कानूनी उपचार जीवित रहने चाहिए। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of**

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order." अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत एवं प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर मोहरबन्द बोली के तहत आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत करते हुए चक 04 एचएलएम के मुरब्बा नम्बर 116/18 में तादादी 25 अनकमाण्ड भूमि बतौर मोहरबन्द आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे तथा धरोहर राशि 11050/— भी खजानाराज में जमा करवाई गई थी तथा उक्त भूमि का आवंटन हेतु श्रीमान् आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के आदेश कमांक एफ 5(ई) उपनि/05/बी—3959 दिनांक 13—06—2008 द्वारा अनुमोदन करने पर अपीलांट के पक्ष में कर दिया गया। जबकि उक्त भूमि पूर्व से ही वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि थी। ऐसी स्थिति में यदि मुरब्बा विशेष वन विभाग हेतु आरक्षित था तो भी आवेदक द्वारा राशि जमा करवा देने पर अन्यत्र अधिसूचित भूमि के लिये बोली में आवेदन शामिल किया जा सकता था। अदालत मातहत द्वारा इतनी लम्बी अवधि तक ना तो अपीलांट के आवेदन को अन्य अधिसूचित बोली में शामिल किया गया ना ही अपीलांट का आवंटन आज दिनांक तक खारिज ही किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को तत्समय ही वादग्रस्त भूमि के बाबत् सही स्थिति की जानकारी प्राप्त करनी करते हुए आवंटन की कार्यवाही करनी चाहिए थी। प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व कर्मचारियों की उदासीनता व लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपीलांट के पास उच्चतर न्यायालय में अपील के अतिरिक्त अन्य को उपचार शेष नहीं रह जाने पर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए समान श्रेणी की अन्य भूमि आवंटित किये जाने की मांग प्रस्तुत अपील के माध्यम से की गई है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 19—05—2008 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट की पात्रता की जॉच करते हुए अपीलांट के आवेदन पत्र पर समान श्रेणी की अन्यत्र अधिसूचित भूमि आवंटन के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12-8-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर